न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 57/2024

उनवान

तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रार्थी

बनाम

मायाकुंवर पत्नि महेन्द्रसिंह राजपुत निवासी वखतपुरा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 21.8.2024

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का मादलदा के मौजा वखतपुरा की खाता संख्या 152 (नया) 132 (पुराना) के सर्वे नम्बर 2434/2430 रकबा 0.36 हे0 किस्म—का.का. भूमि खातेदार मायाकुंवर पत्नि महेन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी वखतपुरा के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होकर अप्रार्थीया द्वारा ग्रामीण सड़क से 60 फीट की दूरी पर रकबा 0.08 हे0 भूमि में टिनशेड का निर्माण किया जाकर मशीनरी स्थापित कर राईस मिल का संचालन किया जा रहा है। प्रार्थीया द्वारा उक्त कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर भूमि आवंटन की शर्तो की पालना नही कि जाकर उक्त सर्वे नम्बर 2434/2430 रकबा 0.36 हे0 में से रकबा 0.08 हे0 भूमि पर गैर कृषि कार्य किया जा रहा है। अतः प्रार्थीया के नाम दर्ज पटवार हल्का मादलदा के मौजा वखतपुरा के खाता संख्या 152 (नया) 132 (पुराना) के सर्वे नम्बर 2434/2430 रकबा 0.36 हे0 किस्म—का.का. भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियमो की पालना नही की जाने से सद्भावी कृषक की श्रेणी में नही आने से उक्त भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत सिवायचक घोषित कराने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीया के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थीया की ओर से श्री पवन लुहार, अभिभाषक का वकालतनामा पेश होकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीया के नाम दर्ज खातेदारी भूमि आवंटित नही होकर पैतृक कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीया द्वारा फुड प्रोसेसींग युनिट स्थापित की जाकर कृषि भूमि को उन्नत बनाने की मशीन लगी हुं है। राजस्थान सरकार के NOTIFICATION No- F.6(26)Revenue-6/14/70 Jaipur, Dated: 09-09-2020 के रूल 6ए. में स्पष्ट लिखा हैं कि खातेदार अपनी कृषि भूमि का उपयोग फुड प्रोसेसींग युनिट के लिए करेगा जो 10 हे0 से ज्यादा नही होगा। अप्रार्थीया की कृषि भूमि में लगी उक्त युनिट कृषि उत्पादन की प्रोसेसींग करने की युनिट है कोई उत्पाद बनाने का उद्योग नही है। अप्रार्थीया द्वारा भूमि का अन्य उपयोग नही किया है, न ही गैर कृषि कार्य किया है। अप्रार्थीया ने उक्त युनिट के लिए ऋण लिया है जिसमें राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान कृषि भूमि पर निर्मित होने पर ही देय है। अप्रार्थीया द्वारा किसर शर्त का उल्लघंन नही किया गया है जिस कारण उसकी भूमि को सिवायचक घोषित नही किया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही राज्य सरकार के नोटीफीकेशन एंव कृषि उत्पादो को उन्नत कर कृषक को समृद्ध बनाने के प्रयासों के विरूद्ध होकर राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना होना बताया। तत्पश्चात् प्रकरण में अप्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:24:48 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी अभिभाषक की बहस पर मनन करने, प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र, राजस्व अभिलेख तथा अप्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत जवाब एंव राजस्व (ग्रुप—6) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक F.6(26)राजस्व—6/14/70 जयपुर दिनांक 09.9.2020 का अवलोकन करने पर ज्ञात आया कि कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी कृषि भूमि में से ली जाने वाली उपज को उन्नत बनाने के लिए बिना भूमि संपरिवर्तन कराये फुड प्रोसेसींग युनिट स्थापित कर सकता है। इस प्रकार राजस्व (ग्रुप—6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 09.9.2020 में वर्णित निर्देशों के तहत प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र पोषणिय नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.8.2024 को जारी किया गया।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी